

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार तिवारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को एल.एल.एम. डिग्री के आधार पर तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-6570 दिनांक 22.01.2026 एवं पत्रांक-20325 दिनांक 28.02.2026 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2140 दिनांक 28.02.2024 सहपठित ज्ञापांक-6039 दिनांक 05.06.2024 में निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम/पदस्थापन	बिहार न्यायिक सेवा में योगदान की तिथि	एलएल.एम. उर्तीणता की तिथि	वेतन वृद्धि की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री अतुल कुमार पाठक, अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कटिहार।	10.10.2007	23.09.2025	23.09.2025
2	श्रीमती शेफाली नारायण, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, अररिया।	04.09.2013	31.12.2025	31.12.2025

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-07 / 2026सा0प्र0..... 4689 / पटना-15, दिनांक 11.3.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं संबंधित न्यायिक पदाधिकारी को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से तथा आईटी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sunil
10/03/26
सरकार के अवर सचिव।